

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजित करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 11 जुलाई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 281

महत्वपूर्ण एवं खास

जम्मू-कश्मीर में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, हथियार जव्त

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी को बांदीपोरा जिले से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि हाजिन शहर में आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में विशेष इनपुट पर, गुंडजहांगीर इलाके में पुलिस एवं सेना के 13 आरआर और सीआरपीएफ के 45 बीएन द्वारा एक संयुक्त नाका स्थापित किया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नाका जांच के दौरान, एक व्यक्ति को बहुत ही संदिग्ध तरीके से व्यवहार करते हुए पाया गया और संयुक्त नाका पार्टी ने उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान चंद्रगीर हाजिन निवासी मुजम्मिल शेख उर्फ अबू माविजा के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि उसकी तलाशी के दौरान, उसके पास से एक चीनी पिस्तौल सहित हथियार और गोला-बारूद, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रासंगिक रूप से, उक्त आतंकवादी हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था और उसे हाजिन शहर और उसके आसपास विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने का काम सौंपा गया था।

कोविड रोधी नियमों का कड़ा

अनुपालन सुनिश्चित करें राज्य : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि उन्हें कोविड-19 प्रबंधन के लिए 31 जुलाई तक लक्षित एवं त्वरित कदमों के क्रियान्वयन पर विचार करने का निर्देश भी दिया गया है। इसने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 के मामलों में कमी के बाद गतिविधियां शुरू करना आवश्यक था और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना चाहिए कि समूची प्रक्रिया सावधानी के साथ हो। राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय की स्वतंत्र-संज्ञान कार्यवाही के संबंध में केंद्र ने यह बात अपने स्थायी अधिवक्ता अनिल सोनी के माध्यम से कही। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों में मुंह को ढंककर रखना, एक-दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने, घर से काम करने, काम/कारोबार के घंटों को क्रमबद्ध करने, निगरानी रखने, स्वच्छता एवं समय-समय पर चीजों/स्थलों को रोगाणुमुक्त करने जैसे कदमों की बात शामिल है।

तेंदुए ने घर के बाहर सो रही दो महिलाओं पर किया हमला

अमरेली (आरएनएस)। गुजरात में अमरेली जिले के गरमाली गांव में आज तड़के एक तेंदुए ने हमला कर घर के बाहर सो रही दो महिलाओं को घायल कर दिया। वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि गिर वन के धारी सलिया रेज के निकटवर्ती इस गांव में एक कृषि फार्म में बने शेड के बाहर सो रही संगीताबेन रावीनभाई ठाकर (30) और नयनाबेन राकेशभाई मल (35) पर तड़के लगभग डेढ़ बजे तेंदुए ने हमला कर दिया। गले पर जख्म बनने से गम्भीर रूप से घायल नयनाबेन को राजकोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि मामूली रूप से जख्मी संगीताबेन का इलाज अमरेली में किया गया। हमलावर तेंदुए को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आस पास पिंजरे रख दिए गए हैं।

आईएमडी ने तटीय कर्नाटक में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट किया जारी

बेंगलुरु (आरएनएस)। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी करते हुए शनिवार को तटीय कर्नाटक में रेड अलर्ट, चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट और जुलाई के लिए कर्नाटक के 12 जिलों में 10 और 11 जुलाई को येले अलर्ट जारी किया। आईएमडी बेंगलुरु के निदेशक, सीएस पाटिल के अनुसार, तटीय कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तीन जिले शामिल हैं - दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़, जबकि मलनाड क्षेत्र के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए राज्यसभा में बिल पेश

» दो से ज्यादा बच्चे होने पर कई अधिकार खत्म करने की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कठोर जनसंख्या नीति लाने के लिए राज्यसभा में भाजपा के तीन सांसदों ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। भाजपा सांसदों सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल द्वारा पेश किए गए इस बिल में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया गया है। वहीं दो से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर सरकारी नौकरी छीनने और मतदान करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने के अधिकार को समाप्त कर देने की बात भी कही गई है।



संसद सत्र के वॉरर यह बिल राज्यसभा के सभापति को सौंपा गया है। अगर सभापति से अनुमति मिलती है तो इस बिल पर संसद के इसी सत्र में चर्चा हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11 जुलाई को प्रदेश में जनसंख्या नीति घोषित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति गरमाने के आसार हैं।

बिल में क्या प्रावधान- जनसंख्या नियंत्रण बिल के तौर पर लाए जा रहे इस प्रस्ताव में एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर कोई दंपती एक बच्चे के जन्म के बाद ऑपरेशन करा लेता है (और दूसरा बच्चा न पैदा करने की बात कहता है) तो ऑपरेशन करने वाले पति या पत्नी को 50 हजार रुपये

की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा इस एक बच्चे के लड़का होने पर 50 हजार रुपये और लड़की होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा इस बच्चे को पढ़ाई के समय केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, मेडिकल-इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक कोर्स करने के दौरान प्रार्थमिकता के साथ प्रवेश और फीस में माफी प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। बिल में कहा गया है कि अगर कोई दंपती दो बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त छूट या लाभ नहीं दिया जाएगा।

तीन बच्चा होने पर कठोर

क्या नागरिकता खत्म करने की बात है? - इस बिल का ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय ने तैयार किया है। क्या इस बिल में तीन बच्चा पैदा करने पर नागरिकता अधिकार खत्म करने की बात कही गई है? अमर उजाला के इस सवाल पर अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि किसी भी नागरिक के दो तरह के अधिकार होते हैं- मूल अधिकार और कानूनी अधिकार। बिल में दो से अधिक बच्चा पैदा करने पर व्यक्ति के मूल अधिकार में कटौती की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन उसके पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने या मतदान करने के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की बात अवश्य कही गई है।

इन्होंने तैयार किया बिल का मसौदा - अश्विनी उपाध्याय द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट में प्रसिद्ध वकील सुब्रमण्यम स्वामी का सुझाव भी शामिल है। उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में इसे प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने में भी प्रमुख

भूमिका निभाई है। इस बिल को ड्राफ्ट करने के लिए अश्विनी उपाध्याय की प्रशंसा भी की है। बिल पेश करने वाले भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने अमर उजाला से कहा कि देश में जनसंख्या अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। इसके कारण गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार-अपराध और अन्य परेशानियां पैदा हो रही हैं। केंद्र सरकार लोगों के विकास के लिए जो भी प्रावधान करती है, भारी आबादी के कारण ये प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान साबित होते हैं। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि अगर जल्द ही कठोर जनसंख्या नीति नहीं लागू की गई तो आने वाले समय में सबको भोजन, पानी और आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं रह जाएगा। इससे समाज में अपराध बढ़ेगा और देश की संभ्रुता और अखंडता को भी खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जल्द से जल्द कठोर जनसंख्या नीति लाकर आबादी को नियंत्रित किया जाए।

आर्थिक सहयोग के लिए भारत-इटली संयुक्त आयोग की हुई 21वीं बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। आर्थिक सहयोग के लिए भारत-इटली संयुक्त आयोग (जेसीईसी) की 21वीं बैठक आभासी माध्यम से 09 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इटली के विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री लुइगी डि माओने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में, दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, चमड़ा, रेलवे, स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश एवं

आर्थिक सहयोग पर व्यापक चर्चा की। व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय बाजार तक पहुंच से जुड़े मुद्दों और गैर-टैरिफ बाधाओं पर भी चर्चा की गई। पुर्तगाल के पोर्टो में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के शिखर सम्मेलन के नतीजों से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। भारतीय पक्ष ने कोविनटीका प्रमाणपत्र को पारस्परिक मान्यता और यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों को हटाने, बिजनेस वीजा की लंबी अवधि और इटली में काम करने वाले भारतीयों के सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी के मुद्दों को भी उठाया।

देश में कोरोना फिर हुआ कातिल, मौतों का बढ़ा आंकड़ा

» 24 घंटे में 1206 लोगों की मौत, 42,766 मिले नए मरीज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ढलान पर आ रही थी कि अचानक पिछले दो दिन से संक्रमण फिर आक्रामक नजर आने लगा। मसलन पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मरने वालों की संख्या फिर से हजार के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि संक्रमण के दैनिक मामलों उतार-चढ़ाव जारी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य



मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में 42,766 नए मरीज मिले हैं और 1206 की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले 43,393 नए मरीज मिले थे और 911 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के

42,766 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 3,07,95,716 हुई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 4,55,033 हुई। बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 1.48 प्रतिशत है और कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.20 प्रतिशत है। नौ दिन बाद 1000 के पार केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1,206 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,07,145 हो गई।

बता दें कि कोरोना से मरने वालों की संख्या नौ दिन बाद 1,000 के पार पहुंची है। इससे पहले 30 जून को 1,002 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई थी। इससे एक दिन पहले 43,393 नए मरीज मिले थे और 911 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय ने बताया कि शुकवार को कोविड-19 के लिए 19,55,225 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ अब तक जांचे गए नमूनों की संख्या 42,90,41,970 हो गई है, जबकि दैनिक संक्रमण दर 2.19 प्रतिशत है। लगातार 19वें दिन यह तीन प्रतिशत से कम है।

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने वाराणसी में एपीडा ने ली बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक कार्यप्रणालियों के पालन के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से आज वाराणसी में एक बैठक का आयोजन किया।



बैठक में वाराणसी क्षेत्र के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) के

आईसीएआर- भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, आईसीएआर- भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आईआरआरआई- दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र (जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली) और उत्तर प्रदेश राज्य कृषि और बागवानी विभागों के कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

नाबार्ड, नेफेड, एसएफएसी, बामर लॉरी और अन्य संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों, एफपीओ और बैठक में भाग लेने वाले निर्यातकों को अपने संबंधित विभागों की योजनाओं की जानकारी दी।

केले के निर्यात पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें एपीडा

पंजीकृत निर्यातक के प्रतिनिधि ने प्रतिभागियों को केले के प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी। वाराणसी में यह कार्यक्रम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था, जहां सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले एक पहल की है। यह प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। एपीडा भारत की कृषि उजड़ को वैश्विक बाजार में निर्यात करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। वाराणसी क्षेत्र से कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने में एपीडा द्वारा प्रदान की गई सहायता पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

डीबीटी-आईएलएस ने नमक-सावित मैंग्रोव प्रजाति के जीनोम को किया डिकोड

नई दिल्ली (आरएनएस)। डीबीटी-इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर और एसआरएम-डीबीटी पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस्ड लाइफ साइंसेज टेक्नोलॉजीज, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु के वैज्ञानिकों ने पहली बार अत्यधिक नमक सहिष्णु और नमक-सावित टरु-मैंग्रोव प्रजाति, एक्सिनिया मरीना के संदर्भ-ग्रेड के एक पूरे जीनोम अनुक्रम की जानकारी दी है। मैंग्रोव दलदले अंतर-ज्वारीय मुहाना क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक अनूठा समूह है और यह अपने अनुकूलनीय तंत्रों के माध्यम से उच्च स्तर की लवणता से सुरक्षित रहते हैं। मैंग्रोव तटीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं और पारिस्थितिक और आर्थिक मूल्य के मामले में इनकी बहुत महत्ता है। ये समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक कड़ी का निर्माण करते हैं, तटरेखाओं की रक्षा करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्थलीय जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। एक्सिनिया मरीना भारत में सभी मैंग्रोव संरचनाओं में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख मैंग्रोव प्रजातियों में से एक है। यह एक नमक-सावित और असाधारण रूप से नमक-सहिष्णु मैंग्रोव प्रजाति है जो 75वें समुद्री जल में भी बेहतर रूप से बढ़ती है।

उपराष्ट्रपति ने महामारी के मद्देनजर व्यवहार में बदलाव की जरूरत पर दिया जोर

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वैकेया नायडू ने आज समाज के वर्गों के बीच टीका लगाने को लेकर हिचकिचाहट को दूर करने का आह्वान किया और फर्जी खबरों का मुकाबला करने व कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर मिथकों को दूर करने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत को रेखांकित किया।



लोगों में मानसिक तनाव और भय के प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 और टीकाकरण के बारे में गलत सूचना गंभीर चिंता का एक विषय है। उपराष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों की शक्तिशाली, डॉक्टरों और अन्य लोगों से डर को दूर करने और टीकाकरण के महत्व पर लोगों में

जिम्मेदारी है कि वह खुद टीका लगाए और दूसरों को टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने आगे कहा कि टीकाकरण अभियान को एक जन आंदोलन बनना चाहिए और इसका नेतृत्व युवाओं को करना चाहिए। इस अवसर पर नायडू ने पूरे विश्व के प्रख्यात लेखकों के तेलुगु भाषा में कोविड-19 पर 80 लघु कथाओं के संकलन कोटा (कोरोना) कथालू पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने आगे लोगों को इस महामारी से निपटने के लिए पांच सिद्धांतों को अपनाने का सुझाव दिया। इनमें एक सक्रिय जीवन शैली का

नेतृत्व करना जिसमें नियमित शारीरिक व्यायाम या योग शामिल है, आध्यात्मिक संतुष्टि की खोज करना, स्वस्थ पौष्टिक भोजन का सेवन करना, कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना व बार-बार हाथ धोना और हमेशा प्रकृति की रक्षा करना और प्रकृति के साथ समरसता में रहना शामिल हैं। उन्होंने इस महामारी के मद्देनजर व्यवहार में बदलाव की जरूरत पर भी जोर दिया। इस बात को कहते हुए कि भारत ने बड़ी आबादी और पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद महामारी से निपटने में काफी अच्छे प्रदर्शन किया है, उन्होंने कोरोना वायरस

के प्रसार को रोकने में एक अमूल्य भूमिका निभाने में वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य लोगों के प्रयासों की सराहना की। यह देखते हुए कि कोविड-19 महामारी ने नियमित शारीरिक गतिविधि के महत्व को रेखांकित किया है, नायडू ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली व सुस्त आदतों ने कई गैर-संचारी रोगों के प्रसार को बढ़ा दिया है। नायडू ने इस महामारी के मद्देनजर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इसे समग्र रूप से संबोधित करने की आवश्यकता को और संकेत किया। उन्होंने कहा कि ध्यान और अध्यात्म से जीवन को संतुलित बनाए रखने में

सहायता मिलेगी। संतुलित आहार लेने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने लोगों, विशेषकर युवाओं को फास्ट फूड की लत लगने के प्रति सावधान किया। उपराष्ट्रपति ने व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने व्यक्तिगत स्वच्छता को जरूरी बना दिया। उन्होंने लोगों से टीकाकरण के बाद भी सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि भारतीय लोकाचार, प्रकृति के साथ प्रेम करना और उसके साथ समरसता में रहना है, उपराष्ट्रपति ने रहने की जगहों को अच्छी तरह हवादार और प्रकाश-युक्त रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।